सेवा में,

माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान, जनपद न्यायाधीश, जनपद कन्नौज।

विषय:- वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-2022 में प्रतिकूल टिप्पणी को हटाने एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में Over all assessment, average को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

सविनय निवेदन है कि वर्ष 2021–2022 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा Over all assessment, average देते हुए कुछ प्रतिकूल टिप्पणियाँ अंकित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में मेरा विनम्र प्रतिवेदन निम्नवत है—

पैरा 01— वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के प्रस्तर संख्या 01 (e) (iii) में तत्कालीन जिला जज महोदय द्वारा यह टिप्पणी अंकित की गयी है कि—

01 (e) (iii)	 The officer has mentioned the disposal of 38 cases in five year old cases but as per the statement attched by the officer shows that only 19 cases (07 criminal cases + 12 civil cases) disposed off in five years old.
	It is further mention that the disposal of 6 cases of ten years old cases but as per the statement attached by the officer only one civil case disposed of in the ten years old cases.

इस सम्बन्ध में मेरा प्रतिवेदन इस प्रकार है कि पाँच वर्ष से पुराने आपराधिक मामले में 7 वाद सविरोध तथा 1 वाद Disposal Otherwise (Transfer) द्वारा निस्तारित किया गया है। (कुल 8 आराधिक मामले)।

इसी प्रकार पाँच वर्ष से पुराने सिविल मामलें सिवरोध 12 तथा 18 वाद Disposal Otherwise (Transfer) द्वारा निस्तारित किया गया है। (कुल 30 सिविल मामले)।

इस प्रकार पाँच वर्ष से अधिक पुराने आपराधिक एवं सिविल वादों की संख्या 38 अर्थात् स्टेटमेंट में दिखायी गयी संख्या के अनुरूप है।

दस वर्ष से पुराने सिविल वादों में 3 सविरोध तथा 3 वाद Disposal Otherwise (Transfer) द्वारा निस्तारित किया गया है, जो कुल मिलाकर 6 सिविल वाद

इस प्रकार कुल दस वर्ष से पुराने निस्तारित सिविल वादों की संख्या 6 अर्थात् स्टेटमेंट में दिखायी गयी संख्या के अनुरूप है। पाँच वर्ष से पुराने वादों एवं दस वर्ष से पुराने वादों के स्टेटमेंट की प्रति संलग्न की जा रही है। (उपावन्ध 1 व 2)

पैरा 02- वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के प्रस्तर संख्या 04 Other Remarks , if any में तत्कालीन जिला जज महोदय द्वारा अंकित किया गया है कि-

- if any
- Other remarks, 1- Tables are not signed by the clerk who prepared them. So it is violation of G.L 11/IV -h- 14/2019. Good Control.
 - 2- Judgment Pronounced is required to be uploaded on the e-court portal of NJDJ. On the e -court site officer has uploaded 17 session trails and 16 civil appeal cases which are delivered by the officer for the period under assessment and during the possting in kannauj for the period 14.04.2021 to 31.03.2022 it is surprising that in the year wise Pendency statement attached by the officer it is shown that 20 sessions trails and 19 civil appeals cases disposed of. This difrence is not understandable.
 - 3- Year wise pendency statement attached by the officer is showing 39 MACP cases disposal but on adding the all the cases given in the statement it comes out to be 31 MACP cases not 39 MACP cases. It is mistake are something else but it is definetly careless attitude in sending statement to the Hon'ble High Court.
 - 4- In the year wise pendency statement no civil revision is being shown as disposed of but surprisingly in the civil work statement in point -08 one civil revision is being shown disposed of for which 03 units has been claimed by the officer.
 - 05- Officer must be vigilent and carefull in sending statements to Hon'ble High Court in Future.

1. Tables are not signed by the clerk who prepared them. So it is violation of G.L 11/IV -h- 14/2019. Good Control.

इसके सम्बन्ध में यह निवेदन है कि परिवार के मुखिया मेरे पिता की पीढ़ी के एक मात्र जीवित श्री इन्द्रदेव प्रसाद उम्र 81 वर्षीय मेरे सगे चाचा हैं। इन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। इनके किडनी के इलाज एवं इनके दाहिनी किडनी में ट्यूमर होने के कारण ऑपरेशन करके दाहिनी किडनी निकलवानी पड़ी। इसी चिन्ता में मैं इस बात का ध्यान नहीं दे पाया कि स्टेटमेंट पर लिपिक द्वारा हस्ताक्षर नहीं बनाया गया है। चाचा जी के दाहिनी किंडनी के इलाज एवं ऑपरेशन से सम्बन्धित चिकित्सीय प्रपत्र संलग्न किये जा रहे हैं। (उपावन्ध 3,4 व 5) इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जिला जज महोदय द्वारा अधीनस्थों पर गुड कन्द्रोल की टिप्पणी भी उपरोक्त पैरा में अंकित किया गया है।

2- Judgment Pronounced is required to be uploaded on the e-court portal of NJDJ. On the e-court site officer has uploaded 17 session trails and 16 civil appeal cases which are delivered by the officer for the period under assessment and during the possting in kannauj for the period 14.04.2021 to 31.03.2022 it is surprising that in the year wise Pendency statement attached by the officer it is shown that 20 sessions trails and 19 civil appeals cases disposed of. This diffence is not understandable.

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जनपद न्यायालय कन्नौज में नियुक्ति के दौरान मेरे द्वारा कुल 17 सत्र परीक्षण निर्णीत किये गये हैं। इसके पूर्व 01.04.2021 से 12. 04.2021 की अविध में जनपद न्यायालय महाराजगंज में नियुक्ति के दौरान मेरे द्वारा 3 सत्र परीक्षण वाद सत्र परीक्षण संख्या 168/2016 मु030सं0 356/2015 सरकार बनाम मालती देवी बगैरह एवं इसके साथ एकजाई सत्र परीक्षण संख्या 169/2016 मु030सं0 356/2015 सरकार बनाम चन्देश्वर उर्फ छोटे अंतर्गत धारा 498ए, 304 बी, 302/34 भा0दं0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम निर्णीत दिनांक 02.04.2021 एवं सत्र परीक्षण 83/2020 सरकार बनाम अमनमणी त्रिपाठी बगैरह मु030सं0 748ए/2014 अंतर्गत धारा 147,149,323 व 504 भा0दं0सं0 निर्णीत दिनांक 03.04.2021, सत्र परीक्षण संख्या 540/2020 सरकार बनाम कुंवर कौशल सिंह बगैरह मु030सं0 748/2014 अंतर्गत धारा 323/34,352 व 504 भा0दं0सं0 निर्णीत दिनांक 03.04.2021 को किये गये हैं। नीचे के अंकित दोनों सत्र परीक्षण एम0पी0/एम0एल0ए० से सम्बन्धित हैं।

इस प्रकार 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक मेरे द्वारा निर्णीत कुल सत्र परीक्षण वादों की संख्या 20 है। जनपद न्यायालय महाराजगंज में नियुक्ति के दौरान निर्णीत तीन सत्र परीक्षण वादों की ओर तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय कन्नौज द्वारा सहवन देखने से रह/छूट गया है। संभवतः इसी कारण यह प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की गयी है।

सिविल अपील की गणना करते समय लिपिकीय त्रुटि के कारण 17 सिविल अपील की जगह 19 सिविल अपील अंकित हो गया है। उल्लेखनीय है कि 17 सिविल अपील में से कुछ सिविल अपील सिवरोध एवं कुछ पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया गया है।

3- Year wise pendency statement attached by the officer is showing 39 MACP cases disposal but on adding the all the cases given in the statement it comes out to be 31 MACP cases not 39 MACP cases. It is mistake are something else but it is definetly careless attitude in sending statement to the Hon'ble High Court.

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि लिपिक द्वारा एम0ए0सी0पी0 की निस्तारित मुकदमों की संख्या हिन्दी में अंको में ३१ लिखा गया था जिसे स्टैनो ने टाइप करते समय अंग्रेजी में पढ़ लिया एवं 39 टाइप कर दिया। उल्लेखनीय है कि मेरे द्वारा 31 एम0ए0सी0पी0 वादों का ही क्लेम किया गया है।

इस सम्बन्ध में क्षमा प्रार्थी भाव से निवेदन है कि यह मात्र त्रुटि हिन्दी लेखन में एवं टंकण द्वारा अंग्रेजी में टाइप करने से हुई है। इसमें अन्यथा कोई लापरवाही एवं उपेक्षा भाव निहित नहीं है।

4- In the year wise pendency statement no civil revision is being shown as disposed of but surprisingly in the civil work statement in point -08 one civil revision is being shown disposed of for which 03 units has been claimed by the officer.

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे न्यायालय में 4 सिविल रिवीजन लिम्बत हैं जिसमें से एक सिविल रिवीजन संख्या 43/2019 शिवकण्ड लाल बनाम हरिनाथ सिंह दिनांक 15.12.2021 को गुण दोष के आधार पर निर्णीत किया गया है जिसका कोटा 3 यूनिट क्लेम किया गया है। लिपिक की त्रुटि के कारण स्टेटमेंट में इसका उल्लेख करने से रह गया है। उपरोक्त सिविल रिवीजन के सम्बन्ध में कोई गलत कोटा क्लेम नहीं किया गया है। उपरोक्त सिविल रिवीजन के निर्णय की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। (उपावन्ध 6)

05- Officer must be vigilent and carefull in sending statements to Hon'ble High Court in Future.

इसके सम्बन्ध में यह निवेदन है कि परिवार के मुखिया मेरे पिता की पीढ़ी के एक मात्र जीवित श्री इन्द्रदेव प्रसाद उम्र 81 वर्षीय मेरे सगे चाचा हैं। इन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। इनके किडनी के इलाज एवं इनके दाहिनी किडनी में ट्यूमर होने के कारण ऑपरेशन करके दाहिनी किडनी निकलवानी पड़ी। इनके देखभाल हेतु भाग—दौड़ करने के कारण लिपकीय प्रकार की त्रुटि हो गयी। इस प्रकार की त्रुटि करने का मेरा कोई भाव नहीं है जिसके सम्बन्ध में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चाचा जी के दाहिनी किडनी के इलाज एवं ऑपरेशन से सम्बन्धित चिकित्सीय प्रपत्र संलग्न किये जा रहे हैं।

तत्कालीन जिला जज महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में यह अंकित किया गया है कि—

Integrity ----- Beyond doubtful.
If he is fair and impartial in dealing with the public and Bar. ----- Yes, He is fair and impartial in dealing with the public and Bar.

4- He is private character -----He holds good private character.

---- Yes. He is cool minded.

3- He is could mind

5- Proper fixation of cause list Proper.			
6- Whether sufficent number of cases			
are fix by him to keep him engaged			
during full court full court hours?	Yes.		
7- Aboidance of unnecessary adjournments	Yes.		
8- Progress and disposal of execution cases	One execution		
	decided by officer.		
9- Performance with regard to decision of			
MACT cases	Good performance.		
10- Whether Judgment on facts and law			
are on the whole sound, well reasoned			
and expressed in good language?	Judgment delivered		
	by the officer are		
	well reasoned and		
	expressed in good		
	language.		
(a) Marshalling of facts	Proper.		
(b) Appreciation of evidence	Proper.		
(c) Application of law	Proper.		
11- Whether disposal of work is adequate	162.32 % Work is		
	adequate.		
12- Control over the office and administrative			
capacity and tact	Good and effective		
	control.		
13- Relation with Bar	Good relation with		
	Bar.		
14- Behaviour in relation to brother officers	Good.		
15- Whether the officer has made regular			
inspection of his court an office	Yes.		
16- His punctuality and regularity in sitting			
on the dais in court during court hours?	Officer was regular		
	and punctual in		
	court.		
17- Whether amenable to advice of the			
district judge and other superior officers?	Yes.		
18- Behabiour Towards women	Good.		
19- State of health	Sound health.		
ट्य एकार तन्त्राचीन विन्या व्यव प्रहोटा	, जान की निर्णय को समस्यानों ने		

इस प्रकार तत्कालीन जिला जज महोदय द्वारा मेरे निर्णय को मापदण्डों के अनुकूल उत्कृष्ठ भाषा में तर्कपूर्ण पाया गया है एवं सत्यनिष्ठा सन्देह से परे प्रमाणित की गयी है। मेरे कृत्य कार्य को युनिट के संदर्भों में पर्याप्त से अधिक माना गया है। अधिवक्ता बन्धुओं व अन्य न्यायिक अधिकारियों से मेरे व्यवहार को अच्छा माना गया है एवं अन्य समस्त प्रविष्टियों को श्रेष्ठ मानने के बाद भी उनके द्वारा अन्त में Over all assessment, average दिया गया है, जो कि स्पष्टतः अन्य प्रविष्टियों से साम्य नहीं रखता है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जिला जज महोदय द्वारा प्रभारी अधिकारी प्रशासन, मुख्य जन सूचना अधिकारी, अध्यक्ष प्रशासनिक समिति, अध्यक्ष सत्यापन एवं सुटेबिलिटी कमेटी, विजिलेंस ऑफिसर, कन्नौज जनपद न्यायालय एवं अध्यक्ष संविदा एवं नीलामी समिति के रूप में भी कार्य लिया गया है। उक्त सभी दायित्व मेरे द्वारा पूर्ण सक्षमता व मनोयोग से निष्पादित किये गये, जिनके बारे में कभी कोई प्रतिकूल टिप्पणी स्वंय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भी नहीं की गयी। इस प्रकार मेरे प्रशासनिक कार्यों के साथ— साथ मेरे न्यायिक कार्यों को भी मापदण्डों के अनुकूल पाने के बाद भी महोदय द्वारा मेरे सेल्फ आसेसमेंट में मुझे औसत प्रविष्टि दिया गया है।

अतः माननीय महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में तत्कालीन जिला जज महोदय द्वारा अंकित प्रतिकूल टिप्पणियाँ को काटने/ हटाने की कृपा करें।

माननीय महोदय से यह भी करबद्ध प्रार्थना है कि Over all assessment, average को उच्चीकृत करने की कृपा करें। प्रार्थी माननीय महोदय जी का आजीवन आभारी रहेगा।

आदर सहित।

मुपदाय

(विश्वम्भर प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 1, कन्नौज।

आई0 डी0 नं0-5894

Stoden Oboden